

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 535] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 1978/अग्रहायण 15, 1900
No. 535] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC 6, 1978/AGRAHAYANA 15, 1900

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह छलन संकलन को रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1978

का. आ. 699 (अ)/आ. व./लोहा और इस्पात-2-क—केंद्रीय सरकार लोहा और इस्पात
(निर्यात) आदेश, 1956 के खण्ड 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और
अधिसूचना संख्या का. आ. 709(अ)/आ.व./लोहा और इस्पात-2क, दिनांक 17 दिसम्बर,
1975 का भागतः उपान्तरण करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त आदेश का खण्ड 7
उक्त आदेश से उपाधुध्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट लोहा और इस्पात के निम्नलिखित
प्रवर्गों को भी लागू होगा, अर्थात् :—

1. बिलेट,

2. भारी संरचनाएं (जिनमें कीड़ियों, चैनलों और कोनिचों के भारी संकशन सम्मिलित हैं),
3. हल्की/संरचनाएं (जिनमें कीड़ियों, चैनलों, कोनिचों टी और 30 पाउंड तथा उससे कम की हल्की पट्टियों के हल्के संकशन सम्मिलित हैं),
4. प्लेटें (पोत निर्माण),
5. प्लेटें (भामूली मृदु इस्पात की और तनन वाली),
6. प्लेटें (गोली—अभेद्य) ।

[सं. स. एस. सी.-1(1)/78-डी. 1(ए.)]

कै. जे. एम. शेट्टी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1978

S.O. 699(E)/ESS. COMM/IRON & STEEL-2A.—In exercise of the powers conferred by clause 2A of the Iron and Steel (Control) Order, 1956 and in partial modification of the Notification No. S.O. 709(E)/ESS. COMM/IRON & STEEL-2A, dated the 17th December, 1975, the Central Government hereby declares that clause 7 of the said Order shall also apply to the following categories of iron and steel specified in the Schedule annexed to the said Order, namely :—

- (i) Billets,
- (ii) Heavy structurals (including heavy sections of Joists, channels and angles),
- (iii) Light structurals (including light sections of Joists, channels, angles, tees and light rails of 30 lbs and under),
- (iv) Plates (Shipbuilding),
- (v) Plates (Ordinary mild steel and tensile),
- (vi) Plates (Bullet-proof).

[No. SC-1(1)/78-DIA]

K. J. M. SHETTY, Jt. Secy.